


અધ્યાત્મ શ્રીમતી કરું અલેક્પુની પ્રિયજ્ઞા.



સલાંગાં ના. 1



સંચાર

બાળ

બાળ

બાળ

સુ. ૩૦૬. ૨૦૬૧/૧૯

દાખ - ૫૬૭, ૩૮૦ ૪૮૧/૮૮

નાની વિનિ રૂ. ૧૫

૨૧૫૨૫૮

એ ગુણું એ ગુણું એ ગુણું એ ગુણું એ ગુણું એ ગુણું

નાની વિનિ રૂ. ૧૫૨૫૮ નાની વિનિ રૂ. ૧૫૨૫૮ નાની વિનિ રૂ. ૧૫૨૫૮

નાની - ૨ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

નાની - ૩ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

નાની - ૪ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

શપથી કા નામ શિલ્પા (ફલભૂતિલા)  
દિનાંક ૧૦.૧.૨૦૬૧ સમય ૧૨  
શપથકતા કી ફક્ત કી...  
ને કોણ હે શપથ કૃત હે વર્ષિત તથા ૨  
શપથ કી કિયા પણ કરીએ  
નાની ૩૯

નાની વિનિ રૂ. ૧૫

બ્રાહ્મ મનુષ જી  
સ્પૃષ્ટ રાણી  
S.K. સુલાંગ  
૧/૧/૨૦૬૧

E

# भारतीय और व्यापारि

दस  
रुपये

₹.10

भारत

NOTARIAL

NOTARIAL

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

नमांजिल का मालिम संग्रही

UPPER PRADESH

व्यापारि वाली  
प्राचीन तथा  
विभिन्न विभिन्न  
शैली का  
गोला, गोड़ा

रामेश्वर

मेरी इक छाली पुत्र लल्लन निवासी के ज्यानकुरी पर लक्ष्मणगढ़,  
पानी सोनवा जिला दोबाली शास्त्रीयक निकापाटीविली है।

मेरी इक शास्त्रीय अरोहण होते को मुल निवासी हैं।

मेरी इक शास्त्रीय के नाम - 1813/07 दाता - 13 घण्टा

Act भाजा उद्याना सर्वोदय व रैवल छाली नामा

उमा मलोदल दाता दर विवाहारीन शो जिसमें बिलाक-

19.2.2013 शास्त्रीय के नामालीन शिला जाता जाता है।

उमा नामा के नामालीन शिला, जुहू, बुद्धी, बुद्धी,

3. मेरी इक शास्त्रीय का माल उमा उमा मलोदल नामा

कोटि शिकायती शुक्रिया तसी रखा है।

4. मेरी इक शास्त्रीय अरोहण निवासी होकर विवाहारीन छोड़कर।

इसकी तसीहत

मेरी इक शास्त्रीय अरोहण का विवाह  
उमा मलोदल में तिथी विवाह  
शुक्रिया शुक्रिया करने ही आज  
शुक्रिया १०५-१-२१

विवाहारीन शुक्रिया

स्वामी ... श्री ... स्वामी विक्रम का दि. ५-७-१९६४  
स्वामी की जनराति ...  
स्वामी ने करने का इच्छा नहीं  
स्वामी वैता का नाम श्री रामचन्द्र महाराज  
वारिंदर श्री रामचन्द्र महाराज  
जन्मना पुस्तील १८ वि. वारासी  
जागिल वट्ठर ...  
स्वामी विक्रेता जोहरमद अखतर  
साइरो-४५  
स. एस. १ की अवधि ३१-३-२०८७  
हर्षील पर्सी म. जन्मना-वारासी

सेवा में

✓ श्रीमान जिला जज महोदय, जनपद आवस्ती।

विषय:- पेशकार सी०जे०एम० के दोहन एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,



प्रार्थी का एक वाद न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय जनपद आवस्ती पर सगीर अहमद बनाम रौनक अली चेक के सम्बन्ध में मुकदमा नं०-1813 / 2007, 138 एन.ई. विचाराधीन है।

जिसमें वादी सगीर अहमद के द्वारा मेरे आधिक रिक्ति को देखते हुए 1,16,418/- रुपये में मात्र 75,000/- रुपये लेकर शेष धनराशि माफ कर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में एक सुलहनामा भी न्यायालय पर काफी अरसा पूर्व दाखिल हो चुका है। के पश्चात् भी पेशकार सी०जे०एम० के द्वारा दोहन करने की नियत से न तो उक्त पत्रावली को श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत ही किया जा रहा है और न उसका निरतारण ही कराया जा रहा है और बार-बार वारन्ट, कुर्की की धमकी दी जा रही है।

दिनांक 17.02.2020 पेशी वाले दिन पर मेरे अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शुक्ला, ओम पाण्डेय एडवोकेट किसी दूसरे अदालत पर व्यस्त थे मैं तारीख पेशी पर हाजिर अदालत आया और मौके पर मौजूद रहने के बावजूद भी मेरा हरताहार नहीं कराया गया।

प्रार्थी एक निहायत ही निर्धन एवं असहाय व्यक्ति है तथा बीमार। वहलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी परेशान रह रहा है। सुलह समझौता ही जाने के बावजूद भी हैरान य परेशान करने की नियत से बार-बार दौड़ाया जा रहा है।

प्रार्थी को पेशकार सी०जे०एम० के आतंक एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाते हुए न्याय दिलाये जाने एवं वाद उपरोक्त को समाप्त कराये जाने की कृपा की जाये।

बड़ी कृपा होगी।

आठ बज्जूत किमान्ता।

कर्वी-बत्ता-पत्रावली।

मूल का बाजूत बदले।

बज्जूत केवे।

०४

२५/२/२०२०

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय चीफ जस्टिस महोदय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ।

४

सूलहना का न ३

कार्यालय सी०जे०एम० श्रावस्ती।

बनाम

श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव

नोटिस

प्रस्तुतकार

न्यायालय सी०जे०एम०, श्रावस्ती।

शिकायतकर्ता रैनक अली की ओर से प्रस्तुत शिकायती प्रा० पत्र के अनुक्रम में  
माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा अद्वेशासकीय पत्र सं० ०८/२०२० के  
माध्यम से स्पष्टीकरण आहूत किया गया है।

अतः आपको इस सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि आज सायं ४ बजे तक  
लम्बित पत्रावली सगीर बनाम रैनक अली आदि मु० नं० १८९३/०७ में आप अपना  
स्पष्टीकरण इस बावत प्रस्तुत करें कि किन परिस्थितियों में आप द्वारा दिनांक  
०५.०२.२०१९ को पक्षकारों के मध्य सुलहनामा दाखिल हुआ था किन्तु आप द्वारा न तो  
उक्त सुलहनामें का कोई उल्लेख आदेश पत्र में किया और न ही सुलहनामा को सूचीबद्ध किया  
साथ ही बिना मेरे आदेश पारित किये परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा-३११  
दं०प्र०स को आदेश पत्र दिनांकित १६.१२.२०१९ लिखते हुये स्वीकार कर लिये जाने का

आदेश अंकित कर दिया गया।

दिनांक: २५-०२-२०२०

  
(शीतला प्रसाद)

सी०जे०एम० श्रावस्ती।

३.८

४२५/१८८०  
०८८



सूचना १ ३/३

सूचना नं.

श्रीमान् C.J.M. महोदय  
क्रावडी

महोदय,  
साह लियेत है कि पलाला सभा  
—प्रथा—रुप के उल्लंघनामा के बिचारा  
जायिन्द्रिय महोदय के सभा प्रबोधन दिन पर  
केत्री रुप के उल्लंघनामा के बिचारा के दिन पर  
कृत गया। क्रावडी यह कि लियेत है कि  
उल्लंघनामा के बिचारा के दिन पर  
कृत गया अवधारणा अधिकारी  
महोदय के उल्लंघनामा के बिचारा के दिन पर  
कृत गया अवधारणा अधिकारी  
कृत गया अवधारणा अधिकारी

ग्राफ्ट

25/02/2020

सुखा उमा घोषणा  
ग्राफ्ट

ग्राफ्ट

₹

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
श्रावस्ती

महोदय,

सादर निवेदन है कि वर्ष 2019-20 में दिनांक 23.05.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक वर्षवार विवरण में निस्तारित उन पत्रावलियों की संख्या निम्नवत है, जिस पर कोई यूनिट (कोटा) देय नहीं है:-

1- लोक अदालत में निस्तारित वाद-	2649
2- अन्य न्यायालय पर स्थानान्तरित वाद-	1182
3- दाण्डिक प्रकीर्ण वाद-	836

सादर।

प्रार्थिगण

1. सुधीर कुमार श्रीवास्तव, *२३.०३.२०२०*  
तत्कालीन प्रस्तुतकार
2. संजय गुप्ता, *१५.०३.२०२०*  
सम्बद्ध फौजदारी अहलमद
3. प्रशान्त वैभव, *१५.०३.२०२०*  
तत्कालीन सम्बद्ध फौजदारी अहलमद  
न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
श्रावस्ती।

अनुपालन आख्या बावत त्रैमासिक निरीक्षण, सितंबर 2019 द्वारा  
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

श्रीमान् जी, दिनांक 25.09.2019 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में दृष्टिगत हुई कमियों को निवारण करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये गये में जिनका अनुपालन सभी सम्बन्धित द्वारा किया गया है एवं अनुपालन हेतु नोट किया गया है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

- 1- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 1 पर बिन्दु सं० 1 में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 2- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 4 ए में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 3- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 4 बी में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 4- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 5 में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 5- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 9 में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 6- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 11 में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 7- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 के अन्तिम द्वितीय पैरा व अन्तिम पैरा में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 8- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 4 के प्रथम, द्वितीय व अन्तिम पैरा में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 9- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 5 के प्रथम पंक्ति व प्रथम पैरा में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।

(शीतला प्रसाद)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
श्रावस्ती।

- 1- श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव (प्रस्तुतकार)
- 2- श्री अवधेश कुमार मिश्र (फौजदारी लिपिक)
- 3- श्री संजय कुमार गुप्ता (स० फौजदारी लिपिक)
- 4- श्री विवेक सिंह (स० फौजदारी लिपिक)
- 5- श्री प्रशान्त वैभव (स० फौजदारी लिपिक)

### त्रैमासिक निरीक्षण माह सितम्बर, २०१९

निरीक्षण टिप्पणी- न्यायालय / कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।  
 निरीक्षण तिथि- २५.०९.२०१९  
 निरीक्षणकर्ता अधिकारी- शीतला प्रसाद,  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

-----

आज दिनांक २५.०९.२०१९ को मैंने कार्यालय एवं न्यायालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इससे पूर्व न्यायालय एवं कार्यालय का निरीक्षण माह जून, २०१९ मे मेरे द्वारा किया गया था। निरीक्षण के समय न्यायालय/कार्यालय में कोई बाहरी व्यक्ति कार्य करता हुआ नहीं पाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती का कार्यालय तहसील भवन के द्वितीय तल पर स्थित है। निरीक्षण दिनांक पर न्यायालय एवं कार्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद नाम
१-	श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव	प्रस्तुतकार
२-	श्री अवधेश कुमार मिश्र	फौजदारी लिपिक
३-	श्री संजय कुमार गुप्त	स० फौजदारी लिपिक
४-	श्री विवेक सिंह	स० फौजदारी लिपिक
५-	श्री प्रशान्त वैभव	स० फौजदारी लिपिक
६-	श्री अरशद खान	सम्बद्ध लिपिक
७-	श्री विनय कुमार	आशुलिपिक
८-	श्री शिव प्रकार यादव	कार्यालय चपरासी
९-	श्री नागेश्वर	अर्दली
१०-	श्री रामधनी	वाहन चालक

इस न्यायालय में थाना कोतवाली भिनगा, मल्हीपुर, सिरसिया व इकौना से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं जनपद के समस्त थानों से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध धारा १५६(३) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा आर्थिक अपराध से सम्बन्धित वादो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत अपीलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

E

यथास्थान चर्चा नहीं किया गया है। प्रस्तुतकार/मुंसरिम को निर्देशित किया जाता है कि वह सूची में कागजातों को उचित प्रकार से दर्ज करें तथा गार्ड फाइलों में कागजातों को उचित प्रकार से चर्चा करें।

२- गत माह अगस्त २०१९ के प्रारम्भ में न्यायालय में कुल फौजदारी वाद के १४४७६ वाद लम्बित थे। माह अगस्त २०१९ में ४७५ फौजदारी वाद संस्थित हुये तथा कुल २९२ फौजदारी वाद निस्तारित किये गये। माह के अन्त में १५०१५ वाद लम्बित हैं।

३- गत माह अगस्त २०१९ में गुण दोष के आधार पर कुल ८ मामले निस्तारित किये गये।

४ए- जुर्माना रजिस्टर का अवलोकन किया। यह रजिस्टर फौजदारी लिपिक द्वारा नियमानुसार अनुरक्षित किया गया है। जुर्माना रजिस्टर के अवलोकन से यह पाया गया कि जुर्माना रजिस्टर माह अगस्त २०१९ तक सत्यापित है। रसीद बुक के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ मामलों में कुछ रसीद वादकारियों को दी गयी है तथा कुछ रसीदें छोड़ नहीं दी गयी हैं और नियमानुसार वादकारियों के हस्ताक्षर भी रसीद बुक पर प्राप्त नहीं किये गये हैं जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि जुर्माने से सम्बन्धित रसीद बुक अंकन पश्चात् जारी करें तथा हस्ताक्षर अथवा अंगूठा जो भी लागू हो उसे अंकित करायें।

४बी- फौजदारी लिपिक द्वारा जो अर्थदण्ड वसूला जाता है उसे यथासम्भव उसी दिन कोषागार/बैंक में जमा करवा दिया जाता है। जो धनराशि विलम्ब से प्राप्त होती है उसे अगले दिन कोषागर/बैंक में अवश्य जमा करवा दिया जाता है फिर भी फौजदारी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह प्राप्त जुर्माना की धनराशि को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में बैंक/कोषागार में अनिवार्य रूप से जमा कर दिया करें।

४सी- फौजदारी लिपिक द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय अंपीलीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित कुल अर्थदण्ड में २६६००/- रुपये का अर्थदण्ड अब तक स्थगित किये गये हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दर्शित है। माह अगस्त, २०१९ में कुल १८६५०/- रुपया अर्थदण्ड वसूल कर कोषागार प्रेषित किया गया है।

४डी- फौजदारी लिपिक द्वारा बताया गया कि कोई भी अर्थदण्ड वसूली हेतु अवशेष नहीं है।

४ई- कार्यालय लिपिकगण द्वारा कोषागार में वसूले गये अर्थदण्ड को जमा करने के पश्चात् माह की समाप्ति पर माह अगस्त, २०१९ तक फ्लाई लीफ प्राप्त कर अर्थदण्ड पंजिका पर चर्चा किये गये हैं।

४एफ- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में कोई रिफण्ड प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु लम्बित नहीं हैं।

५- निरीक्षण में पाया गया कि कार्यालय में पंजिका प्रारूप संख्या ५ नहीं अनुरक्षित की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि जी०आर०क्रिमिनल के नियम १०३ के

७- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि इस निरीक्षण त्रैमास में अभिलेखागार से कोई पत्रावली बदर दुरुस्ती हेतु नहीं प्राप्त करायी गयी है।

८- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि माह जुलाई, २०१९ तक निर्णीत पत्रावलियों को अभिलेखागार में दाखिल किया जा चुका है।

९- कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि इस न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुल १२ फौजदारी वादों में अग्रिम कार्यवाही स्थगित है। फौजदारी लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह इन पत्रावलियों की अद्यतन स्थिति माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर अपनी आख्या के साथ पत्रावली में संलग्न कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

१०- न्यायालय में लम्बित अण्डरट्रायल पत्रावलियों में १४ दिवस की अग्रिम तिथि लगायी जाती है तथा साक्ष्य हेतु लम्बित ऐसी पत्रावलियों में साक्षी को सम्मन प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाता है।

११- न्यायालय द्वारा आदेशित आदेशिकाओं को न्यायालय के अनुपालन में कार्यालय से भेजा जाता है परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि इन आदेशिकाओं को प्राप्त कराने एवं वापरी की विवरण को दर्शित करने निर्धारित प्रारूप की पंजिका कार्यालय में अनुरक्षित नहीं है। इस सम्बन्ध में कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि सामान्य नियमावली फौजदारी के नियमानुसार प्रासेस पंजिका का अनुरक्षण सुनिश्चित करें और मेरे समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

१२- फौजदारी लिपिकगण द्वारा बताया गया कि इस समय में कोई भी मांगपत्र अभिलेखों के प्रेषण हेतु लम्बित नहीं है।

१३- फौजदारी लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रतिलिपि अनुभाग का कोई प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है। जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है उसे अन्दर तीन दिवस में सम्बन्धित अभिलेख के साथ सिविल प्रतिलिपि अनुभाग भेज दिया जाता है।

मैंने निम्नलिखित रजिस्टरों का अवलोकन किया।

#### रजिस्टर नम्बर ४५-

इस रजिस्टर को फौजदारी लिपिकगण द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है जो जी०आर० क्रिमिनल के अनुरूप नहीं बना है। लेबिल व हेडिंग भी नियमानुसार चर्स्पा नहीं है। इस पंजिका में माह जुलाई २०१९ तक निर्णीत पत्रावलियों का ही अंकन किया गया है। माह अगस्त २०१९ व सितम्बर २०१९ में निर्णीत पत्रावलियों का अंकन नहीं है। फौजदारी लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय पश्चात प्राप्त होने वाली पत्रावली को तत्काल इस पंजिका में अंकित कर दिया करें।

#### रजिस्टर नम्बर ९८-

E

निर्देशित किया जाता है कि इसको नियमानुसार संरक्षित करें तथा पत्रावली में पारित आदेश और पारित भी अंकित करें ताकि विविध वाद का निस्तारण किस रूप में हुआ, रजिस्टर को देखने से ही विदित हो जाये तथा यह हिदायत दी जाती है कि समस्त प्रविष्टियाँ भरने के उपरान्त मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

#### रजिस्टर नम्बर १२४-

यह रजिस्टर को फौजदारी लिपिकगण द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है। अन्तिम प्रविष्टि दिनांक २४.०९.२०१९ को राज्य प्रति अविन्द कुमार अन्तर्गत धारा १० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, अपराध संख्या २१६/२०१९ थाना भिनगा है। रजिस्टर में अंकित समस्त कालम का नियमानुसार उल्लेख नहीं है। इस रजिस्टर में नियमित रूप से न तो जमानत प्रार्थना पत्रों को अंकित किया जा रहा है जो गम्भीर आपत्तिजनक है और नियमावली का उल्लंघन है। अतः कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब सभी जमानत प्रार्थनापत्रों को रजिस्टर में नियमानुसार दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

#### रजिस्टर नम्बर ९-

यह रजिस्टर सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है। इस पंजिका में समस्त प्रकार के पुलिस चलानी व परिवाद को सी.आई.एस. पर दर्ज करने के पश्चात अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर पर लेबिल व हेडिंग चर्स्पा नहीं है। फौजदारी लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर में इंडेक्सिंग व समस्त कालम नियमानुसार पूर्ण किये जाये।

#### रजिस्टर नम्बर १०३-

यह रजिस्टर मुंसरिम/प्रस्तुतकार द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर बनाया गया है। इस रजिस्टर में प्रतिदिन पड़ने वाले प्रकीर्ण प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा अंकित किया जाता है। यह रजिस्टर प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा नियमानुसार बनाया गया किन्तु प्रार्थनापत्रों का अंकन उचित प्रकार से नहीं किया जाता है। प्रस्तुतकार/मुंसरिम को आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर में अंकन उचित प्रकार से किया करें।

१०- कार्यालय लिपिकगण द्वारा यह बताया गया कि माह जुलाई २०१९ तक की निर्णीत पत्रावलियों को दाखिल दफ्तर किया जा चुका है।

निरीक्षण के दौरान मैंने निम्नलिखित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

१- परिवाद मुकदमा संख्या ५६५/२०१६, सैय्यूब अली बनाम दद्दन व अन्य, अन्तर्गत धारा ३२४,५०४,५०६,४२७ व ३५६ भा०द०सं०, थाना इकौना की पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में परिवाद दिनांक ०९.०८.२०१६ को न्यायालय में स्थित किया गया। दिनांक २३.०८.२०१६ को परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा २०० सी०आर०पी० अंकित किया गया। अलग



फौजदारी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह समस्त प्रपत्र सूची में दर्ज करे।

२- दाण्डिक वाद संख्या १६१/२०१०, अपराध संख्या १०६/२०१०, सरकार बनाम नीरज कुमार तिवारी, अन्तर्गत धारा ३७९, ४११ भा०दं०सं, थाना मल्हीपुर की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में आरोप पत्र दिनांक ०७.०४.२०१० को न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। दिनांक ०५.०९.२०१२ को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित हुआ। अभियोजन साक्ष्य पी०डब्लू०१ मोहम्मद नईम का अंकित हो चुका है। पत्रावली में अग्रिम तिथि १९.१२.२०१९ नियत है। इस पत्रावली में भी समस्त प्रपत्र सूचीबद्ध नहीं है। फौजदारी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह समस्त प्रपत्र सूची में दर्ज करना सुनिश्चित करे।

दिनांक २५.०९.२०१९

S. Prasad  
(शीतला प्रसाद)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

श्रावस्ती।

प्रस्तुतकार/लिपिकगण निरीक्षण आख्या में दर्शायी गयी त्रुटियों के निवारण के पश्चात् माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये।

दिनांक २५.०९.२०१९

S. Prasad  
(शीतला प्रसाद)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

श्रावस्ती।

अनुपालन आख्या बावत त्रैमासिक निरीक्षण, दिसम्बर 2019 द्वारान्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

श्रीमान् जी, दिनांक 23.12.2019 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में दृष्टिगत हुई कमियों को निवारण करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये गये में जिनका अनुपालन सभी सम्बन्धित द्वारा किया गया है एवं अनुपालन हेतु नोट किया गया है। बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

- 1- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 4 ए में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 2- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 2 पर बिन्दु सं० 4 बी में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 3- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 5 में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 4- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 7 में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया।
- 5- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर बिन्दु सं० 11 में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 6- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 3 पर अन्तिम पैरा में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया।
- 7- श्रीमान जी, निरीक्षण आख्या के पृष्ठ सं० 4 पर में दिये गये निर्देश को अनुपालन हेतु नोट किया गया एवं अनुपालन किया गया।

(शीतला प्रसाद)

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
श्रावस्ती।

- 1- श्री सुधीर श्रीवास्तव (प्रस्तुतकार)
- 2- श्री अवधेश कुमार मिश्र(फौजदारी लिपिक)
- 3- श्री संजय कुमार गुप्ता (स० फौजदारी लिपिक)
- 4- श्री विवेक सिंह (स० फौजदारी लिपिक)
- 5- श्री प्रशान्त वैभव (स० फौजदारी लिपिक)

त्रैमासिक निरीक्षण माह दिसम्बर, 2019

निरीक्षण टिप्पणी—

न्यायालय / कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
श्रावस्ती ।

निरीक्षण तिथि—

23.12.2019

निरीक्षणकर्ता अधिकारी—

शीतला प्रसाद,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती ।

आज दिनांक 23.12.2019 को मैंने कार्यालय एवं न्यायालय का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इससे पूर्व न्यायालय एवं कार्यालय का निरीक्षण माह सितम्बर, 2019 में मेरे द्वारा किया गया था। निरीक्षण के समय न्यायालय / कार्यालय में कोई बाहरी व्यक्ति कार्य करता हुआ नहीं पाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती का कार्यालय तहसील भवन के द्वितीय तल पर स्थित है। निरीक्षण दिनांक पर न्यायालय एवं कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पद नाम
1—	श्री सुधीर श्रीवास्तव	प्रस्तुतकार
2—	श्री अवधेश कुमार मिश्र	फौजदारी लिपिक
3—	श्री संजय कुमार गुप्त	स० फौजदारी लिपिक
4—	श्री विवेक सिंह	स० फौजदारी लिपिक
5—	श्री प्रशान्त वैभव	स० फौजदारी लिपिक
6—	श्री अरशद खान	सम्बद्ध लिपिक
7—	श्री विनय कुमार	आशुलिपिक
8—	श्री शिव प्रकाश यादव	कार्यालय चपरासी
9—	श्री नागेश्वर	अर्दली
10—	श्री रामधनी	वाहन चालक

इस न्यायालय में थाना कोतवाली भिनगा, मल्हीपुर सिरसिया व इकौना से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी एवं जनपद के समस्त थानों से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 156 ।३। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथा आर्थिक अपराध से सम्बन्धित वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत अपीलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

४

१

१८  
मुल्की  
1— प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों से सम्बन्धित गार्ड फाइल, माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश एवं निर्देशों से सम्बन्धित गार्ड फाइल, शासनादेशों से सम्बन्धित गार्ड फाइल एवं पीठासीन अधिकारी के न्यायालय/कार्यालय के आदेश से सम्बन्धित गार्ड फाइल बनायी गयी है किन्तु कागजातों को सूची में नियमानुसार दर्ज नहीं किया गया है। कागजातों को यथास्थान चर्स्पा नहीं किया गया है। प्रस्तुतकार/मुंसरिम को निर्देशित किया जाता है कि वह सूची में कागजातों को उचित प्रकार से दर्ज करें तथा गार्ड फाइलों में कागजातों को उचित प्रकार से चर्स्पा करें।

2— गत माह नवम्बर 2019 के प्रारम्भ में न्यायालय में 11151 के राज्य फौजदारी वाद तथा 2457 परिवाद के मामले लम्बित हैं। गत माह नवम्बर के अन्त में 11341 राज्य फौजदारी वाद तथा 2402 परिवाद के फौजदारी वाद लम्बित हैं।

3— गत माह नवम्बर 2019 में गुण दोष के आधार पर कुल 11 मामले निरस्तारित किये गये।

4ए— जुर्माना रजिस्टर का अवलोकन किया। यह रजिस्टर फौजदारी लिपिक द्वारा नियमानुसार अनुरक्षित किया गया है। जुर्माना रजिस्टर के अवलोकन से यह पाया गया कि जुर्माना रजिस्टर माह नवम्बर 2019 तक सत्यापित है। रसीद बुक के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ मामलों में कुछ रसीद वादकारियों को दी गयी है तथा कुछ रसीदें नहीं दी गयी हैं और नियमानुसार वादकारियों के हस्ताक्षर भी रसीद बुक पर प्राप्त नहीं किये गये हैं जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि जुर्माने से सम्बन्धित रसीद बुक अंकन पश्चात् जारी करें तथा हस्ताक्षर अथवा अंगूठा जो भी लागू हो उसे अंकित करायें।

4 बी— फौजदारी लिपिक द्वारा जो अर्थदण्ड वसूला जाता है उसे यथासम्भव उसी दिन कोषागार/बैंक में जमा करवा दिया जाता है। जो धनराशि विलम्ब से प्राप्त होती है उस अगले दिन कोषागार/बैंक में अवश्य जमा करवा दिया जाता है फिर भी फौजदारी लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह प्राप्त जुर्माना की धनराशि को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में बैंक/कोषागार में अनिवार्य रूप से जमा कर दिया करें।

4सी— फौजदारी लिपिक द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित कुल अर्थदण्ड में 26600/-रुपये का अर्थदण्ड अब तक स्थगित किये गये हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दर्शित है।

4 डी— फौजदारी लिपिक द्वारा बतया गया कि कोई भी अर्थदण्ड वसूली हेतु अवशेष नहीं है।

4 ई— कार्यालय लिपिकगण द्वारा कोषागार में वसूले गये अर्थदण्ड को जमा करने के पश्चात् माह की समाप्ति पर माह नवम्बर, 2019 तक फ्लाई लीफ प्राप्त कर अर्थदण्ड पंजिका पर चर्स्पा किये गये हैं।

4 एफ— कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में कोई रिफण्ड प्रार्थनापत्र नियमानुसार नहीं है।

✓

✓

5— निरीक्षण में पाया गया कि कार्यालय में पंजिका प्रारूप संख्या 5 नहीं अनुरक्षित की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि जी0आर0क्रिमिनल के नियम 103 के अनुसार इस पंजिका का अनुरक्षण सुनिश्चित करें व मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

6— न्यायालय पर आने वाले समस्त साक्षियों का यथासम्भव बयान अंकन व जिरह अंकित की जाती है।

7— कार्यालय लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि इस निरीक्षण वर्ष में अभिलेखागार से कोई पत्रावली बदर दुरुस्ती हेतु नहीं प्राप्त करायी गयी है। अन्तिम प्रविष्टि माह फरवरी, 2014 में गवाह रामकृपाल मिश्र से सम्बन्धित है। रजिस्टर पूर्ण नहीं है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब रजिस्टर पूर्ण कर मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

8— इस त्रैमास नवम्बर, 2019 में दाखिल अभिलेखागार की पत्रावलियों का विवरण संलग्न प्रोफार्मा संख्या—8 में दर्शित किया गया है।

9— माननीय अपीलीय न्यायालय से कुल 12 वादों की कार्यवाही स्थगित है इनका विवरण संलग्न विवरण पत्र —9 में दर्शित किया गया है।

10— विवरण पत्र संख्या—10 में न्यायालय के अण्डरट्रायल वादों से सम्बन्धित वादों का विवरण अंकित किया गया है।

11— न्यायालय द्वारा आदेशित आदेशिकाओं को न्यायालय के अनुपालन में कार्यालय से भेजा जाता है परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि इन आदेशिकाओं को प्राप्त कराने एवं वापसी की विवरण को दर्शित करने निर्धारित प्रारूप की पंजिका कार्यालय में अनुरक्षित नहीं है। इस सम्बन्ध में कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि सामान्य नियमावली फौजदारी के नियमानुसार प्रासेस पंजिका का अनुरक्षण सुनिश्चित करें और मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

12— फौजदारी लिपिकगण द्वारा बताया गया कि इस समय में कोई भी मांगपत्र अभिलेखों के प्रेषण हेतु लम्बित नहीं है।

13— फौजदारी लिपिकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रतिलिपि अनुभाग का कोई प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र लम्बित नहीं है।

मैंने निम्नलिखित रजिस्टरों का अवलोकन किया।

#### रजिस्टर नं० 45 —

इस रजिस्टर को फौजदारी लिपिकगण द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है जो जी0आर0 क्रिमिनल के अनुरूप नहीं बना है। लेबिल व हेडिंग भी नियमानुसार चर्पा नहीं है। अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 23.12.2019 को दाण्डिक वाद संख्या 2148/19 सरकार बनाम उदयराज धारा 60 अबकारी अधिनियम थाना सिरसिया की गयी है। यह रजिस्टर न्यायालय पर होने वाले फैसले को दर्ज किये जाने हेतु बनाया गया है। अतः कार्यालय लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब रजिस्टर को पूर्ण करें तथा भविष्य में दिन प्रतिदिन होने वाले फैसलों को दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

### रजिस्टर नं० 12-

इस रजिस्टर को फौजदारी लिपिकगण द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है जो जी०आर०क्रिमिनल के अनुरूप नहीं बना है। रजिस्टर में अंकित समस्त कालम का हवाला नहीं है। दिनांक 23.12.2019 को अन्तिम प्रविष्टि 1684 / 19 मैसरुल बनाम कलीमून आदि, अन्तर्गत धारा 155 ।२। दण्ड प्रक्रिया संहिता, थाना मल्हीपुर अंकित है। अतः कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि इसको नियमानुसार संरक्षित करें तथा पत्रावली में पारित आदेश और परिणाम भी अंकित करें ताकि विविध वाद का निस्तारण किस रूप में हुआ, रजिस्टर को देखने से ही विदित हो जाये तथा यह हिदायत दी जाती है कि समस्त प्रविष्टियाँ भरने के उपरान्त मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

### रजिस्टर नं० 12 ए-

यह रजिस्टर फौजदारी लिपिक द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है। अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 21.12.2019 सरकार बनाम ननके अन्तर्गत धारा 419 420 467 468 471 भा०दं०सं० थाना कोतवाली भिनगा अपराध संख्या 106 / 18 जिसे निरस्त किया गया है। रजिस्टर में अंकित समस्त कालम का नियमानुसार उल्लेख नहीं है। इस रजिस्टर में नियमित रूप से न तो जमानत प्रार्थनापत्रों को अंकित किया जा रहा है जो गम्भीर आपत्तिजनक है और नियमावली का उल्लंघन है। अतः कार्यालय लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब सभी जमानत प्रार्थनापत्रों को रजिस्टर में नियमानुसार दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

### रजिस्टर नं० 9

यह रजिस्टर सादे कागज पर लाइन खींचकर अनुरक्षित किया गया है। यह रजिस्टर दिनांक 10.10.2019 से अनुरक्षित है। रजिस्टर पर लेबिल व हेडिंग चर्स्पा नहीं है। रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुआयना के दिनांक को अन्तिम प्रविष्टि 5778 / 19, सरकार बनाम सुरेश कुमार, दाण्डिक वाद से सम्बन्धित की गयी है। रजिस्टर में इंडेक्सिंग व समस्त कालम नियमानुसार पूर्ण किये जायें।

### रजिस्टर नं० 103

यह रजिस्टर मुंसरिम/प्रस्तुतकार द्वारा सादे कागज पर लाइन खींचकर बनाया गया है। इस रजिस्टर में प्रतिदिन पड़ने वाले प्रकीर्ण प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा अंकित किया जाता है। यह रजिस्टर प्रस्तुतकार/मुंसरिम द्वारा नियमानुसार बनाया गया है किन्तु प्रार्थनापत्रों का अंकन उचित प्रकार से नहीं किया जाता है। प्रस्तुतकार/मुंसरिम को आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर में अंकन उचित प्रकार से किया करें।

10— कार्यालय लिपिकगण द्वारा यह बताया गया कि माह नवम्बर, 2019 तक की निर्णीत पत्रावलियों को दाखिल दफ्तर किया जा चुका है।

निरीक्षण के दौरान मैंने निम्नलिखित पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

1— मु०नं० 1095 / 2003, अपराध संख्या 228 / 2001, सरकार बनाम छेदी उर्फ सतीश आदि,

✓ ✓

अन्तर्गत धारा 323,504,325 भा०दं०सं०, थाना इकौना की पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में दिनांक 21.11.2002 को आरोपपत्र प्राप्त हुआ है। पत्रावली में अभियोजन की ओर से तीन साक्षियों को परीक्षित कराया जा चुका है। शेष साक्षियों को भी साक्ष्य हेतु तलब किया गया है। पत्रावली प्राचीन है। इंडेक्स नहीं बना है। बयान एवं अन्य कागजात नियमानुसार नहीं हैं। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली में इंडेक्स बनाकर कागजातों को यथास्थान नहीं करना सुनिश्चित करें।

2— मु०नं० 366 / 14, अपराध संख्या 342 / 07, सरकार बनाम राजेन्द्र प्रसाद धारा 279,304 ए भा०दं०सं०, थाना सिरसिया की पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में दिनांक 1.3.08 को आरोपपत्र न्यायालय में प्राप्त कराया गया है। मामले में दिनांक 17.02.2011 को अभियुक्तगण के विरुद्ध बयान मुल्जिम अंकित किया गया है। पत्रावली में पी०डब्लू० 1 का साक्ष्य अंकित कराया गया है तब से पत्रावली अभियोजन के साक्ष्य हेतु नियत चल रही है।

दिनांक 23.12.2019

S. P. M.

शीतला प्रसाद।  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
श्रावस्ती।

दिनांक 23.12.2019

S. P. M.

शीतला प्रसाद।  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
श्रावस्ती।

न्यायालय जे०एम० श्रावस्ती स्थान भिनगा।

श्रीमती राधा शुक्ला बनाम हुकुम चन्द्र आदि।

दिनांक ०५-९-२०१४

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-१५६(३) दं०प्र०सं० पर आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली व थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि दिनांक १९-८-१४ की समय ८ बजे वह अपने ननद के साथ शौच के लिए गयी थी। जहां पर विपक्षीगण पहले से घात लगा कर बैठे थे। जैसे ही प्रार्थिनी शौचक करके उठी वे खेत से निकल कर आय गये और प्रेम नरायण व हुकुम चन्द्र अपने पास लिए अगौछे से प्रार्थिनी का मुँह बांध दिया और चारों लोग प्रार्थिनी को घसीटते हुए पास के मक्के के खेत में ले गये। जहां पर हुकुम चन्द्र व प्रेम नरायण ने जबरदस्ती उसके साथ बारी-२ से बलात्कार किया। शिव प्रसाद व राज कुमार रखवाली कर रहे थे। जब प्रार्थिनी के मुँह से किसी तरह कपड़ा हटा तो जोर से चिल्लाइ तो गांव के बहुत से लोग आ गये तो विपक्षीगण मक्का के खेत से छिकल कर भाग गये। यह उल्लेखनीय है कि उन्हीं पक्षकारों के बीच एक अन्य मुकदमा अन्य प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र प्रेमलता बनाम राम गोपाल आदि मुकदमा सं० २६७/१२/१४ अंतर्गत धारा-१५६(३) दं०प्र०सं० दिया गया है जिस पर आज ही सुनवाई हुई है और न्यायालय द्वारा कोई संज्ञेय अपराध न पाते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। थाने से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि पक्षकारों के बीच एक मुकदमा अंतर्गत धारा-३५४ भारतीय दण्ड संहिता पहले से दर्ज है। जिसे राम नरायण की पत्नी प्रेमलता ने राम गोपाल के विरुद्ध दर्ज कराया था। वर्तमान वाद की वादिनी राधा शुक्ला उसी राम गोपाल शुक्ला की पत्नी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी मामले के कारण प्रतिषेध व पेशबन्दी के कारण प्रार्थना पत्र दिया गया है। वैसे भी आवेदिका व विपक्षीगण एक ही गांव के हैं और आपस में रांची हैं। रामी विपक्षीगण एक ही परिवार के हैं। और उनके बीच आपस में चाचा भतीजा व भाई का रिस्ता है। सामान्यतः भारतीय परिस्थितियों में पिता पुत्र जैसे संबंधी एक साथ एक ही स्त्री से शारीरिक संबंध रथापित नहीं करते हैं। स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रतिषेध व पेशबन्दी में दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-१५६(३) दं०प्र०सं० खारिज किया जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका श्रीमती राधा शुक्ला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-१५६(३) दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है।

१५९१८  
प्र० न्यायिक मैजिस्ट्रेट,  
श्रावस्ती।

प्रस्ताव सं. 14 dt 17.09.2014

राजनीति ना.

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शावरती रथान-भिनगा।  
उपरिथित:-ओम प्रकाश अग्रवाल, एच०जे०एस०।

श्रीमती राधा शुक्ला

दिनांक 16.9.2014

प्रति

डिक्टुम चन्द्र आदि

यह आपराधिक पुनरीक्षण श्रीमती राधा शुक्ला की ओर से प्रभारी न्यायिक मणिरट्रेट के आदेश दिनांक 5.9.2014 से धुक्का होकर प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से आवेदिका का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 । ३। दाउ प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया गया था। उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि यह आदेश पारित करने में न्यायालय ने त्रुटि की है क्योंकि प्रार्थनापत्र के अनुसार संज्ञेय अपराध का मामला बनता था। बलात्कार के तथ्य प्रार्थनापत्र में थे किन्तु पिछे भी प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया गया है।

राज्य की ओर से यह तक रखा गया है कि इस आदेश के विरुद्ध निगरानी संधार्य नहीं है और पूर्ण पीठ गान्धीय उच्च न्यायालय के अनुसार निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर निरस्त हो जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में जो निर्णय शकुन्तला देवी बनाम रटेट आफ यू०पी० एवं अन्य तथा रघुमराज बनाम रटेट आफ यू०पी० एवं अन्य प्रस्तुत किये गये हैं वे इस मामले में पुनरीक्षणकर्त्री का कोई लाभ नहीं पहुँचाते क्योंकि "फादर थामस" के मामले में जो ताजा निर्णय दिया गया है वह वाध्यकारी है और इसके अतिरिक्त इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि थाने वी आख्या में कहा गया है कि पक्षकारों के बीच एक मुकदमा पहले से ही धारा 354 भा०द०सं० का दर्ज है। इस तथ्य के बारे में निगरानी के आधारों में कुछ नहीं कहा गया है कि ऐसा मामला पहले से दर्ज नहीं है। अतः ग्राह्यता के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनकर इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी ददनुसार इसी रूप पर निरस्त की जाती है।

दिनांक 16.9.2014

checked by  
Jyoti  
17/9/14

Om Prakash Agrawal  
राजनीति ना.  
शावरती।

17/9/2014

8